पूर्ण खंड-पीठ

माननीय न्यायमूर्तिगण प्रेम चंद पंडित, गुरदेव सिंह और आर.ऍस. सरकारिया के समक्ष

सुच्चा सिंह बस्सी, *-याचिकाकर्ता,*

बनाम

हरियाणा राज्य, - *उत्तरदाता*

क्रिमिनल विविध नंबर 19 एस.सी.टी. सन 1971

29 जनवरी, 1971

*भारत का संविधान (*1950) - *अनुच्छेद* 134(1)(सी) - *ऐसे अनुदान के तहत प्रमाण पत्र प्रदान करना- ऐसे अनुदान के लिये उच्च न्यायालय के विवेकाधिकार का इस्तेमाल- क्या संयम से उपयोग किया जाना चाहिए - अभियुक्त की दोषसिद्धि के संबंध में उच्च न्यायालय का निर्णय सर्वसम्मति से नहीं - क्या प्रमाण पत्र प्रदान करना अपने आप में उचित है।*

यह अभिनिर्णीत किया गया कि उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 134(1)(सी) के तहत फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान करने के मामले में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित नियमों को अंतिम रूप देना न तो संभव है और न ही वांछनीय है। हालांकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय के विवेकाधिकार का उपयोग संयम से किया जाना चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय को अपील की एक साधारण अदालत के रूप में गठित नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय को संविधान निर्माताओं के कार्यों को हड़पना नहीं चाहिए और इस तथ्य के बावजूद पूरे मामले को खोलने की अनुमति देनी चाहिए कि संविधान ने विशेष रूप से अपील के अधिकार को उप-अनुच्छेदों (ए) और (बी) तक सीमित कर दिया है, जिससे अनुच्छेद 134(1) के खंड (सी) को असाधारण मामलों को पूरा करने के लिए छोड़ दिया गया है। मामले में शामिल तथ्य के प्रश्न कितने भी कठिन क्यों न हों, इसे अपील के लिए उपयुक्त प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। एक प्रमाण पत्र भी केवल इसलिए जारी नहीं किया जाएगा क्योंकि कानून के कुछ प्रश्न विचार के लिए उठते हैं जब तक कि इसमें शामिल प्रश्न प्रमाण पत्र के अनुदान को सही ठहराने के लिए बकाया कठिनाई का न हो। (पैरा 15)

यह अभिनिर्णीत किया गया कि कि उच्च न्यायालय का निर्णय अभियुक्त की दोषसिद्धि के संबंध में एकमत नहीं है और अल्पमत के फैसले के अनुसार, अभियुक्त किसी भी अपराध के दोषी साबित नहीं होते हैं, अपने आप में भारत के संविधान के अनुच्छेद 134(1)(सी) के तहत प्रमाण पत्र देने को सही नहीं ठहराता है। (पैरा 13)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 134(1)(सी) के तहत याचिका *में अनुरोध किया गया है कि माननीय न्यायमूर्ति पीसी पंडित, माननीय न्यायमूर्ति गुरदेव सिंह और माननीय न्यायमूर्ति आरएस सरकारिया की पूर्ण पीठ के 21 सितंबर,* 1970 *के बहुमत के फैसले के खिलाफ* भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए योग्यता का प्रमाण पत्र *दिया जाए।*

बचित्तर सिंह, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से।

के. एस. क्वात्रा, एडवोकेट जनरल, हरियाणा सरकार।

निर्णय

यह आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 134 (1)(सी) के तहत दाखिल तीन याचिकाओं (1971 की संख्या 19, 20 और 21 / एस.सी.टी) का निपटारा करेगा, जिसमें 21 सितंबर, 1970 के हमारे फैसले और आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र की मांग की गई है; जिससे हमने याचिकाकर्ताओं सुच्चा सिंह को दी गई मौत की सजा की पुष्टि की; बलदेव सिंह और नाहर सिंह ने निचली अदालत द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 302, 302/34 आदि के तहत विभिन्न अपराधों के लिए उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी।

2. श्री प्रताप सिंह कैरों; पंजाब के एक पूर्व मुख्यमंत्री की 6 फरवरी, 1965 को तीन अन्य व्यक्तियों के साथ हत्या कर दी गई थी, जो उनके साथ उसी कार में यात्रा कर रहे थे। जांच के बाद तीन याचिकाकर्ताओं सुच्चा सिंह, बलदेव सिंह और नाहर सिंह पर रोहतक के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा मुकदमा चलाया गया। इन सभी को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 302 और 302/34 आदि के तहत दोषी ठहराया गया था और मामूली अपराधों के लिए कारावास की सजा के अलावा मौत की सजा सुनाई गई थी। ट्रायल कोर्ट के 6 जून, 1969 के आदेश के खिलाफ तीन दोषियों द्वारा दाखिल की गई अपीलों के साथ-साथ उन्हें दी गई मौत की सजा की पुष्टि के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के तहत संदर्भ को इस विशेष पीठ को सुनवाई के लिए सौंपा गया था। बहुमत के निर्णय के अनुसार, उनकी अपीलो को खारिज कर दिया गया और 21 सितंबर, 1970 को तीन याचिकाकर्ताओं को दी गई मौत की सजा की पुष्टि की गई। याचिकाकर्ताओं ने अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 134 (1)(सी) के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए उपयुक्त के रूप में मामले को प्रमाणित करने के लिए हमसे संपर्क किया है, जिसमें आग्रह किया गया है:

1. कि मामला बहुत सार्वजनिक महत्व का है,
2. कि इसमें कानून के पर्याप्त और कठिन प्रश्नों पर विचार करना शामिल है,
3. यहां तक कि इस पीठ के सदस्यों के बीच भी विचारों में भिन्नता रही है जिससे तथ्य और कानून के सवालों पर परस्पर विरोधी निष्कर्ष निकले हैं,
4. अल्पमत के फैसले के अनुसार किसी भी याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपराध साबित नहीं हुआ था और अपराध में उनकी भागीदारी साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है, और
5. कि मुकदमे के दौरान और इस न्यायालय में अपीलो की सुनवाई के दौरान उठे कानून के कई सवालों में से कुछ को सर्वोच्च न्यायालय के उनके न्यायमूर्तियो के द्वारा आधिकारिक घोषणा की आवश्यकता है।

3. इस न्यायालय के नियमों के अनुसार, हत्या के लिए दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील और मृत्यु की सजा की पुष्टि के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के तहत संदर्भ की सुनवाई दो न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा की जाती है। हालांकि, तीन न्यायाधीशों की इस विशेष पीठ का गठन हमारे मुख्य न्यायाधीश द्वारा याचिकाकर्ताओं की अपीलों को सुनने और उन्हें दी गई मौत की सजा की पुष्टि के लिए संदर्भ के लिए किया गया था। यद्यपि हम में से एक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष अपराध में तीन याचिकाकर्ताओं में से किसी की भी संलिप्तता साबित करने में विफल रहा था और इस प्रकार वे सभी आरोपों पर बरी होने के हकदार थे, बहुमत के फैसले ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की और न केवल सभी आरोपों पर तीन याचिकाकर्ताओं की दोषसिद्धि की पुष्टि की, बल्कि उन्हें दी गई मौत की सजा की भी पुष्टि की।

4. संविधान के अनुच्छेद 134 (1) (सी) के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र मांगा जाता है, और हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए उपयुक्त है। सुंदर *सिंह* बनाम *उत्तर प्रदेश राज्य*[1], माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 134 (1)(सी) के तहत प्रमाण पत्र प्रदान करना निश्चित रूप से एक मामला नहीं है, लेकिन इस बात पर विचार करने के बाद शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए कि मामले में कानून या सिद्धांत के कौन से कठिन प्रश्न शामिल थे, जिन पर सुप्रीम कोर्ट के आगे विचार की आवश्यकता होनी चाहिए, और यदि उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए मामले में ऐसा कोई शामिल नहीं है। सवाल यह है कि उच्च न्यायालय के लिए यह प्रमाणित करने का कोई औचित्य नहीं था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए उपयुक्त है। न्यायालय की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति सिन्हा ने न्यायालय के पूर्व निर्णयों का उल्लेख करने के बाद कहा: —

"आमतौर पर एक ऐसे मामले में जिसमें एक पुष्टि निर्णय में कानून या सिद्धांत का पर्याप्त प्रश्न शामिल नहीं है, उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद *134 (1) के उप-अनुच्छेद (*सी) के तहत प्रमाण पत्र देने में उचित नहीं होगा।

5. *बालादीन और अन्य* बनाम *उत्तर प्रदेश राज्य*[2] मे संविधान के इसी उपबंध पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की थी —

"अब 'प्रमाणित' शब्द एक मजबूत शब्द है। यह इंगित करता है कि उच्च न्यायालय को इस प्रश्न पर ध्यान देने के लिए अपना दिमाग लाना चाहिए और, न्यायिक आदेशों और प्रमाणपत्रों के सभी मामलों की तरह, आदेश के कारणों को आदेश के चेहरे पर ही स्पष्ट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को पहले यह जानने की स्थिति में होना चाहिए कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में अपना दिमाग लगाया है और यंत्रवत रूप से काम नहीं किया है और दूसरी बात, उच्च न्यायालय को लगता है कि इस अदालत को किस बकाया कठिनाई या महत्व के सवाल का निपटारा करना चाहिए।

6. पुन: *सिद्धेश्वर गांगुली* बनाम *पश्चिम बंगाल राज्य*[3], मे माननीय न्यायमूर्ति सिन्हा ने अनुच्छेद 134(1) के खंड (सी) में "प्रमाणित" शब्द के उपयोग पर जोर देते हुए कहा: -

---

[1] ए.आई.आर. 1956 एस.सी. 411
[2] ए.आई.आर. 1956 एस.सी. 181
[3] ए.आई.आर. 1958 एससी 143

"प्रमाणित करना एक मजबूत शब्द है और इसलिए, यह बार-बार बताया गया है कि एक उच्च न्यायालय केवल तथ्य के प्रश्न पर प्रमाण पत्र देने में गलती कर रहा है, और यह कि उच्च न्यायालय इस न्यायालय द्वारा निर्धारण के लिए अपील पारित करने में उचित नहीं है, जबकि इस मामले में कानून की कोई जटिलता नहीं है जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा आधिकारिक व्याख्या की आवश्यकता है।

7. अनुच्छेद 134 (1)(सी) के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों का दायरा *बाबू और अन्य* बनाम *उत्तर प्रदेश राज्य*[4] के मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचार के लिए फिर से आया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह खंड प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवश्यक शर्त नहीं बताता है, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, (जैसा कि वह तब थे) ने न्यायालय का निर्णय देते हुए निम्नलिखित टिप्पणियां कीं: –

"यह केवल सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 134(1)(सी) के तहत इस न्यायालय को आपराधिक अपील की एक साधारण अदालत नहीं बनाया गया है और उच्च न्यायालय को प्रमाण पत्र के द्वारा एक अधिकार क्षेत्र बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए जो इरादा नहीं था।

इसलिए, उच्च न्यायालयों को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग संयम पूर्वक और सावधानी के साथ करना चाहिए। प्रमाण पत्र तथ्यों पर एक और सुनवाई का खर्च उठाने के लिए नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि मौलिक चरित्र की कुछ त्रुटि न हो जैसा कि नर सिंह[5] के केस में हुआ था।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि उप-खंड (ग) उच्च न्यायालयों को असीमित क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करता है। शक्ति एक विवेक देता है, लेकिन विवेक का उपयोग हमेशा कुछ न्यायिक सिद्धांतों पर किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 133 में एक समान खंड, जो नागरिक मामलों में अपील की अनुमति देता है, को लगातार केवल उन मामलों को शामिल करने के रूप में व्याख्या की गई है जिनमें सामान्य सार्वजनिक महत्व का प्रश्न शामिल है। उस परीक्षण को आवश्यक रूप से एक आपराधिक मामले पर लागू करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि केवल तथ्य के प्रश्नों को निर्णय के लिए संदर्भित नहीं किया जाना चाहिए। संविधान खंड (ए) और (बी) द्वारा कवर किए गए उन दो मामलों को छोड़कर इस न्यायालय के लिए आपराधिक अधिकार क्षेत्र पर विचार नहीं करता है जो अधिकार के रूप में अपील का प्रावधान करते हैं। मामले को प्रमाणित करने से पहले उच्च न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि इसमें कानून या सिद्धांत का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। एक आपराधिक अपील में उच्च न्यायालय कानून और तथ्य पर मामले पर विचार कर सकता है, और यदि उच्च न्यायालय अभियुक्त के अपराध या सबूतों की पर्याप्तता के बारे में संदेह करता है, तो वह हमेशा आरोपी को वहां और फिर लाभ दे सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च न्यायालय पहले उसे दोषी ठहराए और फिर उसे एक प्रमाण पत्र प्रदान करे ताकि यह न्यायालय, यदि उचित समझे, तो निर्णय को पलट दे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए संविधान द्वारा केवल साक्ष्य की सराहना से अधिक कुछ वाले मामले पर विचार किया जाता है। यह क्या हो सकता है यह मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, लेकिन उच्च न्यायालय को मामलों को प्रमाणित करने में धीमा होना चाहिए। उच्च न्यायालय को इस बात की अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि विशेष अनुमति के माध्यम से एक और उपाय है जो उन

[4] ए.आई.आर. 1965 एससी 1467

[5] ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 457

मामलों में लागू किया जा सकता है जहां प्रमाण पत्र से इनकार कर दिया गया है।

8. हाल ही में *असम राज्य* बनाम *अब्दुल नूर और अन्य*[6] के केस मे इस बात पर फिर से जोर दिया गया कि अनुच्छेद 134(1) के उप-खंड (सी) के तहत शक्ति का प्रयोग न्यायिक सिद्धांतों पर किया जाना है और उस प्रावधान के तहत अधिकार क्षेत्र आपराधिक अपील की एक साधारण अदालत का नहीं है, और न्यायमूर्ति रेय ने कहा: -

> "यह स्पष्ट है कि उपखंड (सी) के तहत प्रमाण पत्र देने से पहले उच्च न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि इसमें कानून या सिद्धांत का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। प्रमाण पत्र को स्वयं एक संकेत देना चाहिए कि इसे अनुच्छेद 134 (1)(सी) के दायरे में लाने की अपील में कानून या सिद्धांत का क्या ठोस प्रश्न शामिल है। जहां इस अदालत ने पाया है कि प्रमाण पत्र अनुच्छेद 134 (1) (सी) की आवश्यकताओं के अनुपालन में नहीं है, उसने प्रमाण पत्र स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।"

9. संविधान के अनुच्छेद 134 (1) के खंड (सी) को अनुच्छेद 133 (1) के खंड (सी) के समान कहा गया है। बाद के खंड के तहत कई निश्चित मामले हैं जिनमें यह विचार किया गया है कि किन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए फिटनेस के रूप में प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए, और यह माना गया है कि जहां एक मामला बहुत सार्वजनिक महत्व का है और इसमें शामिल कानून के प्रश्न बकाया कठिनाई के हैं, स्वीकृति दी जानी चाहिए।

10. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह आग्रह किया है कि ये दोनों परीक्षण वर्तमान मामले में संतुष्ट हैं क्योंकि मामला सार्वजनिक महत्व का है और कानून के कई कठिन प्रश्न, जिन पर इस पीठ के सदस्यों के बीच मतभेद रहे हैं, इस मामले में उठते हैं, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति के द्वारा आधिकारिक घोषणा की आवश्यकता होती है। इस तर्क के समर्थन में कि मामला सार्वजनिक महत्व का है, इस तथ्य पर भरोसा किया जाता है कि सामान्य प्रथा से हटकर, दोषियों की अपीलो की सुनवाई दो सदस्यीय खंडपीठ के बजाय तीन न्यायाधीशों की एक विशेष पीठ द्वारा की गई थी, कि अपराध के पीड़ितों में से एक पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, एक प्रमुख सार्वजनिक व्यक्ति, कि पूरी पंजाब पुलिस मामले की जांच में चिंतित थी, और इस मामले ने काफी सार्वजनिक रुचि पैदा की थी। हमारी राय में इनमें से कोई भी तथ्य सार्वजनिक महत्व का मामला नहीं बनाता है। हम यहां याचिकाकर्ताओं के अपराध या निर्दोषता से चिंतित हैं। तथ्य यह है कि उन पर एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक व्यक्ति की हत्या करने का आरोप है और इस मामले ने सनसनी पैदा कर दी थी और सार्वजनिक हित को जगा दिया था, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि सार्वजनिक महत्व के मामले सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार के लिए उठते हैं। जहां तक तथ्य के निष्कर्षों का संबंध है, वे मामले में दिए गए सबूतों पर आधारित हैं, और कानून के सवाल को न्यायिक निर्णयों के अनुसार सुलझाया जाना था, जिन पर याचिकाकर्ताओं की अपीलों से निपटने के दौरान हमारे द्वारा विधिवत विचार किया गया था।

11. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार इस मामले में निर्णय के लिए उठने वाले कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पुलिस नियमों के नियम 22.5 की व्याख्या, साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के तहत सरकारी गवाह के साक्ष्य की स्वीकार्यता, गवाह के कठघरे में होने पर कानूनी सहायता प्राप्त करने के सरकारी गवाह के अधिकार, *रोजनामचा* और मामले की जांच से संबंधित अन्य भौतिक दस्तावेजों को पेश न करने

---

[6] ए.आई.आर. 1970 एस.सी. 1365

और अपराध होने के बाद से लंबा समय बीत जाने पर मौत की सजा की पुष्टि के औचित्य से उत्पन्न अनुमान से संबंधित हैं। याचिकाकर्ताओं की अपीलों से निपटने के दौरान हमारे सामने उठने वाले इनमें से कोई भी और अन्य प्रश्न अधिकार से वंचित नहीं हैं और उनमें से अधिकांश पर, हमारे पास स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियो की आधिकारिक निर्णय हैं। यद्यपि विधि और तथ्य के विभिन्न प्रश्नों पर हमारे बीच मतभेद रहे हैं और उनमें से कुछ कुछ कठिनाइयां प्रस्तुत करते हैं, फिर भी तथ्य यह है कि कानून का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसे उत्कृष्ट कठिनाई या सार्वजनिक महत्व का माना जा सके।

12. याचिकाकर्ताओं को दी गई मौत की सजा के औचित्य के सवाल में किसी भी सवाल या सिद्धांत पर निर्णय करना शामिल नहीं है। बहुमत के फैसले में जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को मौत की सजा दी गई है, कारण दिए गए है और यह सवाल कि किसी विशेष मामले में मौत की सजा दी जानी चाहिए या नहीं, अंततः मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी संदर्भ की आवश्यकता नहीं है।

13. इस तथ्य पर कि इस न्यायालय का निर्णय सर्वसम्मति से नहीं हुआ है और अल्पमत के फैसले के अनुसार याचिकाकर्ताओं को किसी भी अपराध का दोषी साबित नहीं किया गया था, स्वत: अनुच्छेद 134(1)(सी) के तहत प्रमाण पत्र देने को पुष्ट नहीं करता है। याचिकाकर्ताओं में से किसी के अधिवक्ता के द्वारा हमारे ध्यान में एक भी ऐसा मामला नहीं लाया गया है, जिसमें अनुच्छेद 134(1) (सी) के तहत प्रमाण पत्र इस आधार पर दिया गया है कि मामले की सुनवाई करने वाली पीठ के सदस्यों के बीच मतभेद है। दूसरी ओर, मुसमत *गुलाब बाई और एक अन्य* बनाम मुसमत *मनफूल बाई* [7] सहित कई मामलों में यह अभिनिर्णीत किया गया है कि जहां शामिल प्रश्न सामान्य महत्व का नहीं है, वहाँ उच्च न्यायालयों के बीच विचारों में भिन्नता का अस्तित्व भी अनुच्छेद 133(1) के उप-खंड (सी) के तहत प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है ।

14. याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि अनुच्छेद 133(1) और 134(1) दोनों के खंड (सी) के तहत अपील करने की अनुमति के लिए योग्यता के सवाल का कानून के पर्याप्त प्रश्न से कोई संबंध नहीं है और उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र विवेकाधीन और बहुत व्यापक है। इस विवाद के लिए समर्थन जगन नाथ बनाम *संयुक्त प्रांत*[8] में *निहित कुछ टिप्पणियों से मांगा गया* है। यह उच्च न्यायालय में निहित एक विवेकाधीन क्षेत्राधिकार है, इसमें कोई संदेह नहीं है जैसा कि *नरसिंह*(5) *के मामले* में न्यायमूर्ति बोस ने कहा था:

"अनुच्छेद 133 (1) और अनुच्छेद 134 (1) दोनों के खंड (सी) के मामले में, एकमात्र शर्त उच्च न्यायालय का विवेकाधिकार है, लेकिन विवेकाधिकार एक न्यायिक विवेकाधिकार है और इन मामलों को नियंत्रित करने वाली अच्छी तरह से स्थापित लाइनों के साथ न्यायिक रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए।"

15. यद्यपि न्यायालयों ने इस मामले में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित नियमों को मूर्त रूप देना न तो संभव माना है और न ही

[7] ए.आई.आर. 1953 राजस्थान 42 (एफ.बी.)
[8] ए.आई.आर. 1944 एफ.सी. 23

वांछनीय माना है, उच्चतम न्यायालय के प्रमुख प्राधिकारी, जिनका संदर्भ पहले दिया जा चुका है, तथापि, इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ते हैं कि इस विवेकाधिकार का प्रयोग इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय का गठन अपील की एक साधारण अदालत के रूप में नहीं किया गया है। और उच्च न्यायालय को संविधान निर्माताओं के कार्यों को हड़पना नहीं चाहिए और इस तथ्य के बावजूद पूरे मामले को खोलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए कि संविधान ने विशेष रूप से अपील के अधिकार को उप-अनुच्छेदों (ए) और (बी) तक सीमित कर दिया है, जिससे अनुच्छेद 134 (1) के खंड (सी) को असाधारण मामलों को पूरा करने के लिए छोड़ दिया गया है। मामले में शामिल तथ्य के प्रश्न कितने भी कठिन क्यों न हों, इसे अपील के लिए उपयुक्त प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। एक प्रमाण पत्र भी केवल इसलिए जारी नहीं किया जाएगा क्योंकि कानून के कुछ प्रश्न विचार के लिए उठते हैं, लेकिन जैसा कि *बालादीन* (सुप्रा) *के मामले* में निर्धारित किया गया है, इसमें शामिल प्रश्न प्रमाण पत्र के अनुदान को सही ठहराने के लिए उत्कृष्ट कठिनाई का होना चाहिए।

16. यह सत्य है कि मामले में कानून और तथ्य के विभिन्न सवालों पर हमारे बीच मतभेद रहे हैं और वे याचिकाकर्ताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। उच्चतम न्यायालय के उनके लॉर्डशिप की घोषणा को ध्यान में रखते हुए, कि विवेकाधिकार का प्रयोग ठोस न्यायिक सिद्धांतों पर किया जाना चाहिए और कम से कम किया जाना चाहिए, तथ्य के सवालों पर नहीं, लेकिन जहां कानून के प्रश्न उत्पन्न होते हैं, हमें विशेष रूप से जब कोई असाधारण या विशेष परिस्थितियां मौजूद नहीं हैं, वहां मांगे गए प्रमाण पत्र को प्रदान करना संभव नहीं लगता है। यदि ऐसी असाधारण परिस्थितियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा केस ए पर विचार करने की आवश्यकता है, तो याचिकाकर्ता बिना किसी उपाय के नहीं हैं क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं। तदनुसार, हम तीनों याचिकाओं को खारिज करते हैं।

न्यायमूर्ति पी.सी. पंडित —– मैं सहमत हूं।
न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया —– मैं सहमत हूं।

के.एस.के.

__अस्वीकरण :__ स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निषपादन और कार्यान्वियन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

परीक्षित

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

महम, रोहतक,हरियाणा।